तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.12.2019	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर अपने पिता की पैतृक व जरिये वसीयत प्राप्त भूमि में अपने हिस्से की घोषणा करवाने व सहकाश्तकारों से विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया। दौराने वाद प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीया द्वारा ग्राम ताखरांवाली के खसरा नं. 57/4 मिन 1 की 4.137 है0, 57/2 की 2.187 है0, कुल 6.324 है0 भूमि में 1/2 हिस्सा, रोही किशनपुरा के खसरा नं. 86/4 की 3.795 है0, 184/1 की 0.215 है0, 184/2 की 1.720 है0, कुल 5.730 है0 में 1/7 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा, एवं इसके अलावा रोही किशनपुरा के खसरा नं. 138 की 2.846 है0, 139 की 7.400 है0, 141 की 6.553 है0, कुल 16.799 है0 में 1/7 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा की मांग की है। उक्त रकबा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बेचान किया जा चुका है व इन्तकाल क्रेता के नाम से दर्ज हो चुका है। वादीया द्वारा चाहा गया अनुतोष रकबा बेचान होने के कारण व रकबा बेचान उपरान्त वाद कारण के अभाव में वाद–पत्र खारिज योग्य है। इसके अलावा रोही किशनपुरा के खसरा नं. 62/1 की 1.000 है0, 62/2 की 0.518 है0, कुल 1.518 है0 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/7 हिस्सा में भी 1/2 हिस्सा की मांग की है। यह रकबा गैरखातेदारी है व जी.एफ.सी. में चले जाने के कारण खातेदारी नहीं मिली है जिसके कारण रकबा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम द्वारा शासित नहीं होने के कारण विधि विरुद्ध प्रस्तुत वाद–पत्र खारिज योग्य है। अपने प्रार्थना–पत्र के साथ जमाबन्दी व इन्तकाल की चित्रप्रति पेश कर वाद–पत्र वाद कारण के अभाव में व विधि विरुद्ध प्रस्तुत होने के कारण वाद–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीया (वाद–पत्र में वादीया) से जवाब प्राप्त किया गया। अप्रार्थीया/वादीया ने जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी द्वारा दौराने दावा रकबा के बेचान किया गया है। दौराने वाद वादाधीन भूमि का खरीद या बेचान विधि विरुद्ध है तथा प्रतिवादीगण द्वारा वाद में अभी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी (प्रतिवादीगण) अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज किये जाने का निवेदन किया। जवाब प्राप्त होने पर बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद में मुख्य अनुतोष प्रतिवादी सं. 1 हेतराम से चाहा गया है जिनके द्वारा अपने जीवनकाल में वादाधीन रकबा जरिये पंजीबद्ध बैयनामा बेचान किया जा चुका है जिसका इन्तकाल भी राजस्व रिकॉर्ड में क्रेतागण के नाम से दर्ज हो चुका है। बैयनामा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आज तक निरस्त नहीं किया गया है। वादीया द्वारा चाहा गया अनुतोष रकबा बेचान होने के कारण वाद कारण समाप्त हो चुका है एवं इसके अलावा रोही किशनपुरा के खसरा नं. 62/1 की 1.000 है0, 62/2 की 0.518 है0, कुल 1.518 है0 रकबा गैरखातेदारी है व जी.एफ.सी. में चले जाने के कारण खातेदारी नहीं मिली है जिसके कारण रकबा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम द्वारा शासित नहीं होने के कारण वाद विधि विरुद्ध प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वाद–पत्र वाद कारण के अभाव में व विधि विरुद्ध प्रस्तुत होने के कारण वाद–पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की। अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे. 2014 (SC) पेज सं. 317 पेश किया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीया (वादीया) ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद में प्रतिवादीगण द्वारा अभी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, तनकीयात भी नहीं बनी है, इसलिए वाद का निर्णय मैरिट पर किये जाने योग्य है, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज किये जाने की प्रार्थना की। तर्कों व साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थना–पत्र सहित पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वाद में मुख्य अनुतोष प्रतिवादी सं. 1 से चाहा गया है। वाद अभी प्रारम्भिक स्तर पर है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जैरवाद रकबा का बेचान किया जा चुका है जिसका इन्तकाल खरीददारान के नाम से दर्ज हो चुका है। रकबा बेचान उपरान्त वादकारण विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 शेष नहीं रहा है तथा रोही किशनपुरा के खसरा नं. 62/1 व 62/2 का कुल 1.518 है0 रकबा गैरखातेदारी है जो कि जी.एफ.सी. में चले जाने के कारण खातेदारी के अभाव में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम द्वारा शासित नहीं होने के कारण वाद विधि विरुद्ध प्रस्तुत हुआ है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.27 11:58:51 IST
Reason: SelfAttested